जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, लोहरदगा

(जिला निर्वाचन शाखा)

आम सूचना।

लोकसभा आम निर्वाचन, 2019

लोहरदगा जिला के सभी मतदातागण, कृपया ध्यान दें

लोहरदगा जिलान्तर्गत 72 लोहरदगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 324 एवं 69- विशुनपूर विधान सभा क्षेत्र(अंश) के 104 कुल 428 मतदान केन्द्रों में दिनांक 29.04.2019 को पूर्वाहन 7.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक मतदान कार्यक्रम निर्धारित है।

2. उक्त अवसर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 'ग' में निहित प्रावधान के आलोक में लोहरदगा जिला अन्तर्गत मतदान के लिए निर्धारित क्षेत्र में (27.04.2019 के अपराहन् 4.00 बजे से) मतदान की तिथि के लिए निर्धारित मतदान अवधि (29.04.2019, 7.00 बजे पूर्वाहन से 04.00 बजे अपराहन्) की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक के लिए मद्य निषेध (Dry Day) घोषित किया जाता है।

3. उक्त अवधि में मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिट्युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

4. तदनुसार दिनांक 23.05.2019 - मतगणना की तिथि को सम्पूर्ण लोहरदगा जिला क्षेत्र में मद्य निषेध (Dry Day) घोषित किया जाता है।

अधीक्षक, उत्पाद इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 'C' का उद्धरण निम्न प्रकार हैं :-

135C. Liquor not to be sold, given or distributed on polling day. (*1*) No spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature shall be sold, given or distributed at a hotel, eating house, tavern, shop or any other place, public or private, within a polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area.

ह०/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-उपायुक्त, लोहरदगा।

ज्ञापांक 838 /जि0निर्वा0, दिनांक 12/04/19

प्रतिलिपि :उत्पाद अधीक्षक, लोहरदगा/ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित। जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, लोहरदगा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आम सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करने की कार्रवाई करें।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा अनुमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला-लोहरदगा/ सभी अंचल अधिकारी, जिला- लोहरदगा/ सभी थाना प्रभारी, जिला- लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

12/4/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-उपायुक्त, लोहरदगा।